न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
267/2007	06/11/2007	9/7/24

बउनवान

1– रामवतार पुत्र गणेशराम जाति धाकड

2– ओमप्रकाश

3– विनोद कुमार

4– राधारानी

5– प्रेमलता बाई पिसरान दुर्गाशंकर

6– रामनाथ बाई बेवा दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासीगण दीगोदतह0 दीगोद

– वादीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

2– अधिशाषी अभियन्ता भू0सुधार विभाग जर्ये सी.ए.डी. तहसीलदार कोटा,।

– प्रतिवादीगण

वाद अ0धा0 88,89,188 आरटीएक्ट

वकील वादी – श्री अनिल खण्डेलवाल

निर्णय

संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के परिवार की पेत्रक भूमि ग्राम दीगोद तह0 दीगोद जिला कोटा में प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व सम्वत 2012 से

2015 की जमाबंदी में अन्य ख.न. के साथ ख.न. 1175/72 की रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्व0 श्री गणेशराम जी के खाते में दर्ज थी । वादी कम 1 स्व0गणेशराम का पुत्र है तथा वादी 2 ता 6 गणेशराम जी के पौत्र है।

यह कि सम्वत् 2013 से 2032 के प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त आराजी ख.न. पुराने ख.न. 1775/72 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा भूमि के नये ख.न. 69 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा भूमि कायम कर प्रार्थीगण का रकबा सेटलमेन्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से रिकार्ड में 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि को कम कर दिया गया, परन्तु मोके पर प्रार्थीगण का कब्जा पुराने रकबा अनुसार चला आ रहा है। तथा सेटमेन्ट सम्वत् 2043– 2062 के दौरान उक्त आराजी के नये ख.न. 77 की रकबा3.00 है0 आराजी कायम की गई। प्रार्थीगण की आराजीयात् का रकबा पुराने रकबे अनुसार 4.66 है0 बनता है जिसके नये ख.न. 77 रकबा 3.00 है0 मे केचमेन्ट होने के पश्चात नये ख.न. 2759 रकबा 0.79 है0 ख.न.2760 रकबा 0.24 है0 ख.न.2753 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 रकबा 2.79 है0 दर्ज किये गये है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते के पुराने रकबे अनुसार 4.66 है0 रकबा बनता है जिसमें से 1.88 है0 आराजी का बेचान कर देने वे 0.21 है0 भूमि भु सुधार कटोती व 0.04 है0 भूमि सिचाई द्वारा अधिग्रहण कर ली गई इस प्रकार कुल 1.53 है0 भूमि खाते मे से चली जाने के बाद भी 3.13 है0 भूमि का रकबा खाते मे दर्ज होना चाहिए था,जिसके स्थान पर प्रार्थीगण के खाते मे 2.79 है0 रकबा दर्ज किया जाकर 0.34 है0 आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होने के स्थान पर अनाधिकृत रूप से कम कर दी गई।

प्रार्थीगण अपने खातेदारी एवं पुराने ख. न. 1775/72 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर लगातार काबिज कास्त चले आ रहे थे ओर पूर्व सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थीगण की अढाई बीघा भूमि खाते मे से कम कर देने पर भी मौके पर पूरे रकबे पर काबिज थे परन्तु केचमेन्ट विभाग द्वारा केचमेन्ट करने के पश्चात प्रार्थीगण की भूमि को मौके पर स्थित रकबे मे से 0.34 है0 भूमि कम कर प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि का रकबा 0.34 है0 सिवाचक दर्ज कर दिया है। जिसका सेटलमेन्ट व केचमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही था और

प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्व खातेदारी की नकले व रेकार्ड दिखाने पर भी प्राथीगण को उक्त रकबे अनुसार सम्पूर्ण भूमि नही सम्भलाई गई।

यह है कि प्रार्थीगण ग्राम दीगोद में प्रार्थी की भूमि के आस पास वर्तमान में भू0 सुधार विभाग द्वारा पुनः भू सुधार का कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी की भूमि ख.न. 1117 के आसपास निकले सिवायचक भूमि में रकबा 0.34 है0 भूमि इस आशय के लिए आरक्षित की जा सकती है कि प्रार्थी के खाते मे रकबा दुरस्ती के पश्चात प्रार्थी के पूर्व की सिवायचक में दर्ज करने पर ररकबा दुरस्ता निर्णय बााद उक्त सिवायचक से पूर्ति की जा सके,अगर वर्तमान में प्रार्थी के लिए सिवायचक रकबाा 0.34 है0 आरक्षित नही किया गया तो प्रार्थी को भविष्य में अधिक वाद विवाद में फसना पडेगा।

यह कि उक्त आराजी में वादीगण उक्त काबिज कास्त है जिस पर वादीगण के पिता अपने जीवनकाल तक तथा पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण काबिज कास्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 के राजस्प विभाग द्वारा रेवेन्यू रेकार्ड त्रुटि पूर्ण पद्वितो से इन्द्राज करने एवं प्रतिवादी कम 2 द्वारा दिनांक 26.10.2007 को वादी के कब्जे कास्त की भूमि पर कब्जे सम्भलाये जाने व प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के समीप सिवायचक नही छोडने व प्रार्थी को वाद विवाद की स्थिति में फसने तथा वादीगण के कब्जे कास्त में व्यवघान पैदा करने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ।

अतःवाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद धोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेघाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की डीकी पारित की जावे कि वादी की वाके ग्राम तह0 दीगोद ग्राम दीगोद तह0 दीगोद जिला कोटा की आराजी पुराने ख.न. के साथ ख.न. 1175/72 की रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेन्ट के नम्बर 69 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा व हाल सेटलमेन्ट बाद ख.न. 77 रकबा 3.00 है0 का केचमेन्ट करने के बाद मौके पूर्व रकबे अनुसार रकबा पूरा किया जावे।

वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं अन्य कोई न्यायाचित सहायता हो तो वही को प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया की सेटलमेन्ट 2013–2032 के दौरान 2 बीधा 2 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। इस संबध में उज्रदारी के समय कार्यवाही क्यो नही की गई। तथा तत्समय की नकल मिलान क्षैत्रफल तथा पुराने व नये नक्शे की नकल पेश नही की गई जिससे यह कथन साबित नही होता है। सेटलमेन्ट सम्वत 2043–62 की नकल मिलान क्षैत्रफल अनुसार नवीन ख.न. 77 रकबा 3.00 है0 गत ख.न. 69 रकबा 18 बीधा 14 बिस्वा से बने है जो गत रकबा अनुसार सही है। ख.न. 69 का शेष रकबा 8 बीधा कहा गया यह वादीगण द्वारा साबित नही किया गया है। वादीगण द्वारा इस भूमि मे से 1.88 है0 का बेचान करना बताया है परन्तु इस संबध में कोई रेकार्ड पेश नही किया है। वादीगण वाद के मद सं. 2 में वर्णितनुसार एक ओर तो यह बताते है कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा पुराने रकबे अनुसार चला आ रहा है दूसरी ओर मद न. 3 में वर्णित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि मोके पर स्थित रकबे मे से 0.34 है0 भूमि कम कर सिवायचक कर दी गई है। दोनो कथनो में विरोधाभास है। वादीणगण द्वारा यह साबित नही किया गया है कि मौके पर कितना रकबा है। अतः उक्त कारणो से वाद खारिज फरमावे।

पत्रावली में प्रतिवादी कम 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया की वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी में सेटलमेन्ट से संबधित तथ्य की जानकारी प्रति. कम 1 से है । तथा केचमेन्ट दीगोद तालाब वर्ष 1995–96 के अर्न्तगत वादीगण के ख.न. 77 रकबा 3.00 है0 भूमि में हमारो द्वारा केचमेन्ट का कार्य किया गया था जिसमें सें 0.21 है0 की सामान्य कटोती ककर नवीन ख.न. 2759 रकबा 0.79 है0 ख.न. 2760 रकबा 0.24 है0 तथा ख.न. 2753 रकबा 1.76 है कुल किता 03 रकबा 2.79 है0 भूमि वापस वादीगण को संभला दी गई है इस प्रकार

वादी को 0.34 है0 भूमि कम नही दी गई है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार पूरी भूमि दी गई है। इसके बाद केचमेन्ट ब्लांक दीगोद तालाब " बी " वर्ष 2007–08 दीगोद ने वादीगण की आराजी ख.न. 1117 रकबा 0.37 है0 मे से 0.07 है0 भूमि मे केचमेन्ट का कार्य किया गया था जिसके केचमेन्ट पश्चात नवीन ख.न. 3183 बनाये जाकर 0.07 है0 भूमि वापस वादीगण को संम्भला दी गई। तथा केचमेन्ट विभाग को सिवायचक भूमि आरक्षित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा ग्राम दीगोद मे केचमेन्ट का कार्य तत्समय पूर्व ही पूर्ण हो चुका है।

पत्रावली में जवाब प्रतिवादीगण प्राप्त होने पर तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं.–1 आया वादग्रस्त आराजी ग्राम दीगोद ख.न. के साथ ख.न. 1775/72 की रकबा 29 बीधा 2 बिस्वा भूमि,सम्वत् 2012–2015 में वादीगण के पूर्वज श्री गणेशराम के नाम दर्ज थी। जिसको सेटलमेन्ट सम्वत् 2013–32 मे नवीन नम्बर 69 रकबा 26 बीधा 14 बिस्वा बनाया जाकर 2 बीधाा 12 बिस्वा कम अंकित कर दिया गया है। जबकि वादीगण पूरे रकबे 4.66 है0 पर काबिज थे।

– जिम्मे वादीगण

तनकी नं. 2– आया बाद सेटलमेन्ट तथा बाद केचमेन्ट वादीगण को पूरी भूमि वापस नही संभलाई गई। जिसे प्रापत करने के वादीगण अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

तनकी नं. 3 – आया वादीगण केचमेन्ट के दौरान वादग्रस्त आराजी के समीप 0.34 है0 रकबा सिवायचक दर्ज कर उक्त भूमि आरक्षित करवाने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

तनकी न. 4 – आया वादीगण वादग्रस्त आराजी का रकबा पूरा करवा कर खातेदार धोंषित होने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

तनकी न. 5 – आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

तनकी न. 6 – आया प्रतिवादी कम 2 द्वारा वादीगण को कोई रकबा अनाधिकृत कम अंकित नही किया है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार बाद सामान्य कटोति का पूरा रकबा वापस संभलाया गया है।

– जिम्मे प्रतिवादी–2

तनकी न. 7 – आया 80 सी.पी.सी. के अभाव में वाद काबिल खारिज है।

– जिम्मे प्रतिवादी–2

तनकी न. 8 – आया वादीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है । वादीगण द्वारा कतिपय भूमि का बेचान कर दिया है। अतः वाद काबिल खारिज है।

– जिम्मे प्रतिवादी–1

तनकी न. 9 – आया वादीगण का वाद पत्र विरोधाभाषी है। अतः वाद काबिल खारिज है।

–जिम्मे प्रतिवादी–1

तनकी न. 10 – अनुतोष ।

पत्रावली में तनकीयात् कायम कर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। दिनांक 24.07.2024 को साक्ष्य पेश कर प्रदर्श डलवाए। वकील वादी द्वारा प्रदर्श–1 जमाबंदी (खेवट खतोनी) ग्राम दीगोद सम्वत 2012 से 2015, प्रदर्श–2 खतोनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) कस्बा दीगोद,तह0दीगोद, सम्वत 2013 –2032,प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी खतोनी ग्राम दीगोद, सम्तव् 2036 से 2039, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी खतोनी सम्वत 2043–2062, प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत,2055–2058, प्रदर्श–6 नकल नक्शा ट्रैस, प्रदर्श–7 नकल मानचित्र केचमेट ग्राम दीगोद, प्रदर्श–8 खसरा तरमीम सम्वत् 2016 प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत 2008–2011 प्रदर्श– 10 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2043–2062,प्रदर्श–11 जमाबंदी सम्वत् 2024–2027,प्रदर्श –12 नक्ल नक्शा ट्रैस आंशिक खाल दीगोद आद्वि डलवाए गये।

पत्रावली में दिनांक 17.07.2013 को वकील वादीगण को साक्ष्यवादी पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने व दो बार अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्यवादी पेश नही करने पर पत्रावली मे साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली में उपलब्ध

रेकार्ड,जवाब प्रतिवादीगण वाद पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में कायम की गई तनकीयात् का तनकीवार विश्लेषण निम्नानुसार है।

तनकी न.1 – इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे था। वादीगण द्वारा दस्तावेजो मे 2012 से 2015 की जमाबंदी पेश की है जिसमें ख.न. 1775/72 रकबा 29 बीधा 2 बिस्वा है एवं सेटलमेन्ट संवत 2013–32 की जमाबंदी पेश की है जिसमें ख.न. 69 रकबा 26 बीधा 14 बिस्वा है। परन्तु दोनो ख.न. के संबध में मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत नही किया गया है साथ ही वादी यह भी साबित नही कर पाए है कि उक्त कमी का रकबा कहॉ बेसी है। इस संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मोखिक बहस नही की गई है। प्रतिवादी कम 1 ने भी नकल मिलान क्षैत्रफल के अभाव मे इसे अस्वीकार किया है। अतः यह तनकी साबित करने में वादी विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित्त की जाती है।

तनकी न. 2– इस तनकी को सबित करने का भार वादीगण के जिम्मे था। वादीगण ने इस संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। प्रतिवादी न. 1 ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि सेटलमेन्ट सं. 2043–62 के मिलान के अनुसार नवीन ख.न. 77 रकबा 3 है0 गत ख.न. 69 रकबा 18 बीधा 14 बिस्वा मे से है जो सही है बाकी 8 बीधा रकबा कहा गया यह वादीगण ने साबित नही किया गया है। अतः इस तनकी को साबित करने में वादी विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित्त की जाती है।

तनकी न.3 – तनकी न. 1 व 2 में किए गए विवेचन के आधार पर एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य कें यह तनकी भी वादीगण द्वारा साबित नही किया है। अतः इस तनकी को साबित करने में वादी विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित्त की जाती है।

तनकी न. 4 एव 5 – उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण इस तनकी को साबित करने में वादी विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित्त की जाती है।

तनकी न. 6 उपरोक्त तनकी 6 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी न. 2 पर था। प्रतिवादी न. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि केचमेन्ट दीगोद तालाब वर्ष 1995–96 के अर्न्तगत वादीगण के ख.न. 77 रकबा 3.00 है0 भूमि में हमारे द्वारा केचमेन्ट का कार्य किया गया था जिसमें सें 0.21 है0 की सामान्य कटोती कर नवीन ख.न. 2759 रकबा 0.79 है0 ख.न. 2760 रकबा 0.24 है0 तथा ख.न. 2753 रकबा 1.76 है कुल किता 03 रकबा 2.79 है0 भूमि वापस वादीगण को संभला दी गई है इस प्रकार वादी को 0.34 है0 भूमि कम नही दी गई है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार पूरी भूमि दी गई है। इसके बाद केचमेन्ट ब्लांक दीगोद तालाब " बी " वर्ष 2007–08 दीगोद ने वादीगण की आराजी ख.न. 1117 रकबा 0.37 है0 मे से 0.07 है0 भूमि मे केचमेन्ट का कार्य किया गया था जिसके केचमेन्ट पश्चात नवीन ख.न. 3183 बनाये जाकर 0.07 है0 भूमि वापस वादीगण को संम्भला दी गई। तथा केचमेन्ट विभाग को सिवायचक भूमि आरक्षित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा ग्राम दीगोद मे केचमेन्ट का कार्य तत्समय पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। इस के विरोध में वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कोई बहस नही की गई है।

उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में निर्णित्त की जाती है।

तनकी न. 7 – प्रतिवादी कम 2 द्वारा अपने जवाब मे यह कथन किया है कि (वाद मे पक्षकार बनाने से पूर्व) उन्हे 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है वादी द्वारा इसके संबध में न तो कोई दस्तावेज न ही अपने बहस में कथन किया अतः यह तनकी प्रतिवादी न.2 के पक्ष में निर्णित्त की जाती है।

तनकी न.–8 इस तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी न.1 पर था। वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद न. 2 में वणित अनुसार सम्वत् 2013 से 2032 के प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त आराजी ख.न. पुराने ख.न. 1775/72 रकबा 29 बीधा 2 बिस्वा भूमि के नये ख.न. 69 रकबा 26 बीधा 14 बिस्वा भूमि कायम कर प्रार्थीगण का रकबा सेटलमेन्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से रिकार्ड में 2 बीधा 12 बिस्वा भूमि को कम कर दिया गया, परन्तु मोके पर प्रार्थीगण का कब्जा पुराने रकबा

अनुसार चला आ रहा है। तथा सेटमेन्ट सम्वत् 2043– 2062 के दौरान उक्त आराजी के नये ख.न. 77 की रकबा3.00 है0 आराजी कायम की गई। प्रार्थीगण की आराजीयात् का रकबा पुराने रकबे अनुसार 4.66 है0 बनता है जिसके नये ख.न. 77 रकबा 3.00 है0 मे केचमेन्ट होने के पश्चात नये ख.न. 2759 रकबा 0.79 है0 ख.न. 2760 रकबा 0.24 है0 ख.न.2753 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 रकबा 2.79 है0 दर्ज किये गये है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते के पुराने रकबे अनुसार 4.66 है0 रकबा बनता है जिसमें से 1.88 है0 आराजी का बेचान कर देने वे 0.21 है0 भूमि भु सुधार कटोती व 0.04 है0 भूमि सिचाई द्वारा अधिग्रहण कर ली गई इस प्रकार कुल 1.53 है0 भूमि खाते मे से चली जाने के बाद भी 3.13 है0 भूमि का रकबा खाते मे दर्ज होना चाहिए था,जिसके स्थान पर प्रार्थीगण के खाते मे 2.79 है0 रकबा दर्ज किया जाकर 0.34 है0 आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होने के स्थान पर अनाधिकृत रूप से कम कर दी गई।

इस कम में प्रतिवादीगण 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि सेटलमेन्ट 2013–2032 के दौरान 2 बीधा 2 बिस्वा भूमि कर कर दी गई। इस संबध में उज्रदारी के समय कार्यवाही क्यो नही की गई। तथा तत्समय की नकल मिलान क्षैत्रफल तथा पुराने व नये नक्शे की नकल पेश नही की गई जिससे यह कथन साबित होता है। सेटलमेन्ट 2043–62 की नकल मिलान क्षैत्रफल अनुसार ख. न. 77 रकबा 3.00 है0 गत ख.न. 69 रकबा 18 बीधा 14 बिस्वा से बने है जो गत रकबा अनुसार सही है। ख.न. 69 का शेष रकबा 8 बीधा कहा गया यह वादीगण द्वारा साबित नही किया गया है। वादीगण द्वारा इस भूमि मे से 1.88 है0 का बेचान करना बताया है परन्तु इस संबध में कोई रेकार्ड पेश नही किया है।

वादीगण वाद के मद सं. 2 में वर्णितनुसार एक ओर तो यह बताते है कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा पुराने रकबे अनुसार चला आ रहा है दूसरी ओर मद न. 3 में वर्णित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि मोके पर स्थित रकबे मे से 0.34 है0 भूमि कम कर सिवायचक कर दी गई है। दोनो कथनो में विरोधाभास है। वादीणगण द्वारा यह साबित नही किया गया है कि मौके पर कितना रकबा है।

प्रतिवादी नं.1 द्वारा जवाब मे प्रस्तुत इन तथ्यो के संबध में भी दौराने बहस वकील वादी द्वारा कोई बहस नही कि गई।

उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी कम. 1 के पक्ष में निर्णित्त की जाती है।

तनकी न.9– तनकी न. 8 में किए गए विश्लेषण के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में निर्णित्त की जाती है।

तनकी न. 10– अनुतोष– तनकी न. 1,2,3,4 व 5 विरूद्व वादीगण निर्णीत की गई है। एवं तनकी न 6 व 7 प्रतिवादी न. 2 के पक्ष में निर्णित्त की गई है। तनकी न. 8 व 9 प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में निर्णित्त की गई है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार विश्लेषण के अनुसार वादी अपने वाद को सिद्व करने में अफसल रहने के कारण वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बाद तामिल तक्मील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 9/7/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद